

भाग III
(संबंधित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है।)
प्रस्ताव पर वन संरक्षक की अनुशंसा

14	स्थल जहां की वनभूमि शामिल की गई है क्या इसका संबंधित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है (हां/नहीं) यदि हां तो निरीक्षण की तारीख और किये गये प्रेक्षणों को, निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें	14	नहीं
15	क्या संबंधित वन संरक्षक भाग ख में दी गई सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत है।	15	सहमत है।
16	प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में संबंधित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें	16	वनमण्डलाधिकारी सा0 वनमंडल राजगढ़ के द्वारा भाग II में की गई अनुशंसा के आधार पर, ग्रामीणों को पेयजल सुविधा प्रदान करने हेतु मोहनपुरा बहु ग्रामीण जल प्रदाय योजना अंतर्गत पीने के पानी की 07 टंकी के निर्माण हेतु परिक्षेत्र राजगढ़, वनखण्ड राजगढ़, छाजन, छगोड़ा के वन कक्षा क्रमांक पी. 48, पी.52, पी.55, एवं पी.56 की कुल 0.63 हेक्टेयर वनभूमि, महाप्रबंधक, म.प्र. जल निगम मर्यादित, परियोजना क्रियान्वयन ईकाई, राजगढ़ को उपयोग पर देने के लिये, व्यपवर्तन बावत् अनुशंसा की जाती हैं।

तिथि : 23.09.2019

स्थान: भोपाल

नाम
सरकारी मोहर

(डॉ० एस.पी. तिवारी)
मुख्य वन संरक्षक
भोपाल वृत्त भोपाल

कार्यालय वन वृत्त भोपाल

खेल भवन 74बंगला, भोपाल दूरभाष 2674296 कार्या. 2674345

क्रमांक/मा.चि./ 3999

प्रति,

भोपाल, दिनांक 23 सितम्बर 2019

अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक,
(भू-प्रबंध)
म0प्र0 भोपाल

विषय:- राजगढ़ जिले में ग्रामीणों को पेयजल सुविधा प्रदान करने हेतु मोहनपुरा बहु ग्रामीण जल आपूर्ति योजना अंतर्गत पीने के पानी की टंकी के निर्माण हेतु 0.63 हेक्टर वनभूमि, जल निगम मर्यादित, पी.आई.यू. राजगढ़ को उपयोग पर देने बावत। (ऑन लाईन प्रकरण क्रमांक FP/MP/WATER/39733/2019)

संदर्भ:- वनमंडलाधिकारी, सामान्य वनमंडल राजगढ़ का पत्र क्रमांक/मा.चि./1710 दिनांक 11/09/2019

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा वनमंडल राजगढ़ अंतर्गत ग्रामीणों को पेयजल सुविधा प्रदान करने हेतु मोहनपुरा बहु ग्रामीण जल प्रदाय योजना अंतर्गत, पीने के पानी की 07 टंकी के निर्माण हेतु परिक्षेत्र राजगढ़, वनखण्ड राजगढ़, छाया, छगोड़ा के वन कक्ष क्रमांक पी. 48, पी.52, पी.55, एवं पी.56 की कुल 0.63 हेक्टेयर वनभूमि, महाप्रबंधक, म.प्र. जल निगम मर्यादित, परियोजना क्रियान्वयन ईकाई, राजगढ़ को उपयोग पर देने के लिये, वनसंरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत अनुमति बावत, दिनांक 12/9/19 को ऑन लाईन प्रस्ताव प्रस्तुत कर, उक्त प्रस्ताव हार्ड प्रति दिनांक 16/9/19 को अपने स्पष्ट अभिमत/अनुशंसा सहित इस कार्यालय में प्रस्तुत की गई हैं।

प्रकरण में व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित वनभूमि 1.000 हेक्टेयर से कम होने तथा व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित वनक्षेत्र में कोई भी वृक्ष प्रभावित नहीं होने के कारण क्षतिपूर्ति वनीकरण योजना प्रस्तावित नहीं की गई हैं।

म.प्र. शासन, वन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल के पत्र क्रमांक/एफ-5-11/2006/10-3 दिनांक 31/05/2014 द्वारा चिन्हित प्रकरणों में वनसंरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत गैर वानिकी उपयोग हेतु 1.000 हेक्टेयर से कम वनभूमि व्यपवर्तन के अधिकार दिनांक 31/12/2018 तक संबंधित वनमंडलाधिकारी, क्षेत्रीय को प्रदत्त किये गये हैं। उपरोक्तानुसार वनमंडलाधिकारी, को प्रदत्त अधिकार की अवधि समाप्त हो चुकी हैं।

अतः वनमंडलाधिकारी सा0 वनमंडल राजगढ़ द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव, सहमति सहित दो प्रति में आगामी कार्यवाही हेतु सादर संलग्न संप्रेषित हैं।

(डॉ.एस.पी.तिवारी)

मुख्य वनसंरक्षक,
भोपाल वृत्त भोपाल

भोपाल, दिनांक 23 सितम्बर 2019

पू0क्रमांक/मा.चि./ 4000

प्रतिलिपि:-

- 1 वनमंडलाधिकारी, सामान्य वनमंडल राजगढ़ की ओर संदर्भित पत्र के तारतम्य में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। प्रकरण में प्राप्त प्रस्ताव में व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित वनक्षेत्र के सर्वे ऑफ इण्डिया के मानचित्र एवं जियो रिफरेंस मानचित्र की हार्ड प्रति पर आपके हस्ताक्षर नहीं हैं। अतः उक्त मानचित्रों की हस्ताक्षरित प्रति, अपर प्रधान मु0व0सं0 भू-प्रबंध एवं इस कार्यालय में यथा शीघ्र प्रस्तुत करें।
2. महाप्रबंधक, म.प्र. जल निगम मर्यादित पी.आई.यू. राजगढ़ की ओर संदर्भित पत्र के तारतम्य में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

मुख्य वनसंरक्षक,
भोपाल वृत्त भोपाल

23/9/19